

[2025:RJ-JP:11824]



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 3640/2025

Ram Kumar Meena S/o Shri Bhonri Lal Meena,
Resident Of Plot No. A-2, Geeta Vihar-A, Village
Nagriyawala,tehsil Sanganer, District Jaipur.

-----Petitioner

Versus

1. Shri Bhonri Lal S/o Late Shri Sitaram, Resident
Village Nagriyawala, Tehsil Sanganer, District
Jaipur (Died)
2. Smt. Gheeshi Devi Widow Of Late Shri Laxmi
Narain, Resident Of Near Maharana Pratap
Circle, Dhada Ki Dhani, Village Nagriyawala,
Tehsil Sanganer, District Jaipur
3. Ram Ratan S/o Shri Bhonri Lal Meena, Resident
Plot No. A-1, Geeta Vihar, Village Nagriyawala,
Tehsil Sanganer.
4. Ramesh S/o Shri Bhonri Lal, Resident Of Near
Maharana Pratap Circle, Dhada Ki Dhani, Village
Nagriyawala, Tehsil Sanganer
5. Panchu Ram S/o Shri Bhonri Lal, Resident Of
Near Maharana Pratap Circle, Dhada Ki Dhani,
Village Nagriyawala, Tehsil Sanganer.
6. Ramavtar S/o Shri Bhonri Lal, R/o Near
Maharana Pratap Circle, Dhada Ki Dhani, Village
Nagriyawala, Tehsil Sanganer.
7. Shankar Singh S/o Shri Bhonri Lal, R/o Near
Maharana Pratap Circle, Dhada Ki Dhani, Village
Nagriyawala, Tehsil Sanganer.
8. Bhanwari Devi W/o Shri Bhonri Lal, R/o Near
Maharana Pratap Circle, Dhada Ki Dhani, Village
Nagriyawala, Tehsil Sanganer (Died)

-----Respondents



[2025:RJ-JP:11824]

(2 of 4)

[CW-3640/2025]

For Petitioner(s) : Mr. R P Garg, Adv.

For :
Respondent(s)

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

17/03/2025

विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश क्रम-10, जयपुर महागनर, प्रथम मुख्यालय सांगानेर द्वारा दीवानी वाद संख्या 1587/2013 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.2.2025 से व्यथित होकर यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याची/वादी की ओर से प्रस्तुत की गयी है जिसके माध्यम से श्रीमती भागोती देवी, कैलाशी देवी, मनभर देवी उर्फ छोटी देवी का आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया किया गया।

सुसंगत तथ्य यह है कि आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तीनों आवेदक भौरी लाल की पुत्रियां हैं। भौरी लाल द्वारा दिनांक 11.09.09 को अपनी संपत्तियों के संबंध में समझौता विलेख निष्पादित किया जिसके संबंध में भौरी लाल के एक पुत्र याची रामकुमार द्वारा वाद प्रस्तुत कर इस समझौते की पालना का अनुतोष मांगा गया। भौरी लाल व उसकी पत्नी भौरी देवी की वाद के विचारण के दौरान मृत्यु हुई, लेकिन बकाया विधिक प्रतिनिधिगण को रिकोर्ड पर नहीं लिया गया तथा यह बिन्दु बहस अंतिम के समय उठाये जाने की स्वतंत्रता दी गयी।

कालान्तर में उपरोक्त तीनों आवेदकों द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत आवेदन पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त संपत्ति में उनका भी हक हिस्सा है तथा पारित होने वाले निर्णय व डिक्री से वे प्रभावित होंगे, अतः उन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे। यह आवेदन आक्षेपित आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया।

विद्वान अधिवक्ता याची/वादी का निवेदन है कि जब प्रार्थीगण को उनके माता पिता की मृत्यु के बाद विधिक प्रतिनिधिगण के रूप में अभिलेख पर नहीं लिया गया, वे समझौता पत्र में भी पक्षकार नहीं थे तो ऐसी स्थिति में वे न तो आवश्यक पक्षकार है और ना ही उचित पक्षकार है, अतः ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध है तथा इसके यथावत रहने से अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न होंगी, अतः अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

इसी स्टेज पर प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित करने के क्रम में विस्तृत रूप से सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भौरी लाल की तीनों पुत्रियों द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में अपना हक हिस्सा होना बताया, वाद के अभिकथनों में भी मकान को पैतृक होना बताया। इस कथित समझौता पत्र के क्रियान्वयन से संपत्ति के अधिकार तय होंगे जबकि संपत्ति में प्रार्थीगण द्वारा अपना हिस्सा होना बताया है। वादी के वाद में भी बंटवारे में शामिल मकान को पैतृक होना बताया है। उपरोक्त परिस्थितियों में भौरी लाल की तीनों पुत्रियां इस प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार है तथा उन्हें सुने बिना कोई प्रभावी व अंतिम डिक्री

पारित किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण का हक हिस्सा वाद में अंतिम रूप से तय होगा, यह विचारण का विषय है।

उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.02.25 पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है तथा उसमें प्रथम दृष्टया ऐसी कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

फलस्वरूप यह रिट याचिका ग्रहणार्थ प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है। तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J